राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांकः– एफ.11/एनआरएचएम/भण्डार/स्टे./16/1616 दिनांकः– 3-06-16

निविदा सूचना

नेशनल हैल्थ मिशन में कार्यालय स्टेशनरी के क्रय के प्रयोजनार्थ 01 वर्ष की दर संविदा करने हेतु पंजीकृत फर्मों से निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदाऐं दिनांक 23.06.2015 को अपरान्ह 1.00 बजे तक कमरा नं0 222, द्वितीय तल स्वास्थ्य भवन, जयपुर में जमा कराई जा सकती है, जो उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगी।

क्र0सं0	कार्य का नाम	वार्षिक अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	अमानत राशि (राशि रू0 में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रू0 में)
1.	कार्यालय स्टेशनरी	5.00	10000/–	200.00

निविदा प्रपत्र दिनांक कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क का ड्राफट/ बैंकर्स चैक राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी जयपुर के नाम देय का जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदाऐं मुहरबन्द लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से "कार्यालय स्टेशनरी के लिए" निविदा लिखा होना चाहिए।

निविदाऐं स्वास्थ्य भवन की विभागीय वेबसाईट www. rajswasthaya.nic.in & http://spp.raj.nic.in पर भी उपलब्ध है।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकि.स्वा एवं प0क0
एवं मिशन निदेशक एनएचएम

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी (एन.आर.एच.एम.)
राजस्थान, जयपुर

कार्य की अनुमानित लागत रूपये 5.00 लाख
अमानत राशि रूपये 10000/-
निविदा प्रपत्र शुल्क- 200 रूपये

कार्यालय स्टेशनरी आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र (एक वर्ष हेतु)

1. कार्यालय स्टेशनरी क्रय के लिए निविदा ....
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व रजिस्ट्रेशन होने का प्रमाण पत्र, ...
   ....
   डाक का पता, टेलीफोन न0 एवं TAN No.& PAN No. ....
3. जयपुर सम्पर्क कार्यालय का पता ....
   ....
4. किसको संबोधित किया गया – मिशन निदेशक, एनआरएचएम, (राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
5. निविदा सूचना संदर्भ ....दिनांक..........
6. निविदा फार्म शुल्क की राशि रू0 200 मिशन निदेशक, एनआरएचएम, राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के पक्ष में बैकर चैक/ डी.डी. .... से जमा कराई जा रही है।
7. हम, मिशन निदेशक, एनआरएचएम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या ....दिनांक.......... में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है)
8. निविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' में दर्शाई गई दरें सभी कर एवं शुल्क सहित अंकित करें। अलग से कर की दरे अंकित करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। दरें स्पष्ट हो।
9. सामग्री जिसके लिए निविदादाता अपनी दरे प्रस्तुत करता है, उसके नमूने पृथक से सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करेंगें।
10. प्रपत्र 'अ' में दी गई दरें अनुमोदन की तिथी से एक वर्ष तक के लिए मान्य है तथा सामान विभिन्न चरणों में विभाग की आवश्यकतानुसार आपूर्ति करवाया जावेगा।
11. निविदा सूचना में अंकित राशि रूपये 10000/- अमानत राशि के रूप में राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के पक्ष में बैकर चैक/बैंक ड्राफ्ट निविदा फार्म के साथ संलग्न है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क0सं0	**विवरण**	**राशि (रूपये में)**

12. निविदा फार्म के साथ बिकी कर पंजीकरण प्रमाण पत्र व चालु वर्ष का वेट चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र संलग्न है।
14. निविदा के साथ अमानत राशि नहीं होने तथा विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वतः ही रदद् मानी जावेंगी।
15. आदेश के अनुसार सामान की आपूर्ति कार्यालय की आवश्यकतानुसार करनी होगी। आदेश जयपुर स्थित पते पर दिया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक

स्टेशनरी सामग्री का विवरण एवं वित्तीय दरें

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	दर प्रति नग (रू में) समस्त व्यय, कर एवं एफओआर स्टोर सहित
1.	फाईल कॅवर (टू–पीस) उत्तम क्वालिटी के	
2.	फाईल पैड उत्तम क्वालिटी के	
3.	फाईल लैस 24"/9 X 24 (पैक)	
4.	फाईल टैग अच्छी क्वालिटी	
5.	प्लास्टिक फाईल कॅवर (ट्रान्सपेरेन्ट फोल्डर) ए4 साईज	
6.	प्लास्टिक फाईल कवर (ट्रान्सपेरेन्ट फोल्डर) लीगल साईज	
7.	डाक पुस्तिका–120 पेज मय गत्ता बाईण्डिंग	
8.	सफेद फ्लयूड (Whitener)	
9.	पेपर ए–4 फोटो स्टेट 75 जीएसएम कागज	
10.	पेपर एफ–एस फोटो स्टेट 75 जीएसएम कागज	
11.	डिस्पेच रजिस्टर 400 पेज मय गत्ता बाईण्डिंग	
12.	रिसिप्ट रजिस्टर 400 पेज मय गत्ता बाईण्डिंग	
13.	स्पाईरल पैड 10 नम्बर	
14.	स्पाईरल पैड 3X1 कलर 100 पेज	
15.	स्टेपलर 10 नम्बर	
16.	स्टेपलर 24 नम्बर	
17.	स्टपैलर पिन 10 नं0	
18.	स्टपैलर पिन 24 नं0	
19.	डाक पैड उच्च क्वालिटी	
20.	आलपिन पैकेट	
21.	आलपिन कुशन प्लास्टिक	
22.	रजिस्टर लाईनदार 180 पेज मय गत्ता बाईडिंग	
23.	रजिस्टर लाईनदार 300 पेज मय गत्ता बाईडिंग	
24.	यू पिन पैकेट	
25.	फेवीस्टीक	
26.	पेन यूनिबोल	
27.	पैन पायलेट वी–7	
28.	पैन पायलेट वी–5	
29.	पैन एड जैल	
30.	पेन (सेलो/रेनोल्ड)	
31.	हाईलाईटर	
32.	केलकुलेटर 12 डीजिट	
33.	फ्लैग 3 कलर 25 mm X 75 mm	
34.	फ्लैग पोस्टेड 1 कलर	
35.	पोकर प्लास्टिक हैडिल	
36.	गोंद की बोतल 700 एम.एल.	
37.	रूल पेंसिल एचबी/अप्सरा	
38.	शापनर	
39.	ईरेजर (रबड)	
40.	सैलो टैप 2 ईंच सफेद	

41.	सैलो टेप 1 इंच सफेद	
42.	पेपर वैट प्लास्टिक	
43.	व्हाईट बोर्ड मार्कर पैन	
44.	परमानेन्ट मार्कर पैन	
45.	स्टाम्प पैड मीडियम साईज	
46.	बाइण्डर क्लिप 19 एमएम	
47.	बाइण्डर क्लिप 25 एमएम	
48.	बाइण्डर क्लिप 32 एमएम	
49.	बाइण्डर क्लिप 41 एमएम	
50.	पंचिग मशीन मीडियम	
51.	पंचिग मशीन बडी	
52.	पेन्सिल सैल XX,XXX	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

<u>निविदा की शर्ते</u>

1. निविदाओ को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशो के अनुसार उचित रुप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. **<u>वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएँ</u>** :– निविदाएं मालों के वास्तविक डीलरो द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेगें।
3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिर्वतन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिर्वतन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जाएगा।

   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रुप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
4. **<u>बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण पत्र</u>** :– कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर/वेट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही हैं तो वह निविदा नही देगा। बिक्री कर/वेट पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर/वेट चूकती प्रमाण –पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
5. निविदा प्ररुप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदादाता संविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्य में निविदा के समस्त निबंधनो एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दर शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ एंव/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रुप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

7. **मूल्य अधिमान** :– मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के अद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विर्निमित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जाएगा।

8. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशो, आकार, मेक एवं रेखाचित्रो आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशो, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

9. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

10. **विनिर्देश** :– (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के शर्तो के पूर्णतया अनुरुप होंगी तथा जहॉ पर वस्तुओ की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहॉ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशो के अनुरुप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।

(ii) **वारंटी/गारंटी खण्ड** :– निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगर के दिनांक से 6 माहों की अवधि तक यथा विर्निदिष्ट विवरण एंव गुणवत्ता के अनुरुप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमानित कर दिया है, यदि 6 माहो की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरुप नही पाया गया या वे समाप्त हो गए है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओ को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरुप नही पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगें। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वह इस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्ते के उल्लघंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस

संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी।

11. सलंग्न प्रपत्र अ के क्रम संख्या 1 से 6, 13, 14, 19 के नमूने उपलब्ध कराये जाने है। प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाऐंगें।

12 अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट, हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। सविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट–फूट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहॉ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

15. <u>रद्द करना</u> :– (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऍ अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(i) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

16. रद्द की गयी वस्तुओ को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकारी होगा।

17. निविदादाता उचित पैंकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्त्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसार, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्त्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

18. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

19. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

20. (i) समस्त सामग्री एनएचएम द्वारा निर्धारित स्टोर/स्थान पर आपूर्ति निविदादाता को करानी होगी। इस हेतु किसी भी प्रकार का भाड़ा/अन्य खर्चे का भुगतान नहीं किया जावेगा।

(ii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

(iii) अनुबंध की अवधि अनुबंध तिथि से एक वर्ष के लिए होगी आवश्यकता पड़ने पर यह अवधि आपसी सहमति से 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है।

21. निविदादाता द्वारा निविदा क्रयादेश में अवधि में आवश्यकतानुसार सप्लाई उल्लेखित अवधि में करनी होगी।

22. **बीमा** :– (i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे–युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

23. (i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वितिय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25% तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलों के सम्बंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा। जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

24. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

1. यदि प्रदायकर्त्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा। जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

2. यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

25. **<u>वसूलियाँ</u>** :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्त्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्त्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

26. मूल निविदा फॉर्म के साथ संलग्न **प्रपत्र 'अ'** में ही निविदादाता अपनी दरें दर्शाऐं। विभागीय प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।

27. निविदा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी जिस पर लेखन सामग्री आपूर्ति कार्य के लिए निविदा अंकित होना चाहिये।

28. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान विभाग एक माह में करने का प्रयास करेगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जावेगा।

29. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, विभाग में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान कार्यवाही की जावेगी।

30. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।

31. निविदा फार्म में किसी प्रकार की कॉट छॉट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संशोधन किया जावे तो पुनः स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाकर इस पर अपने लघु हस्ताक्षर करने होगे। काट छांट/ओवर राईटिंग होने पर निविदा रद्द समझी जावेगी।

32. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विशिष्ट शासन सचिव चिकि, स्वा एवं प.क. एवं मिशन निदेशक एनएचएम राजस्थान, जयपुर को होगा।

33. बोली प्रतिभूति (Bid) :– (क) निविदा के साथ .... रूपये की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि .... के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

1. नकद–शीर्ष "8443-सिविल निक्षेप–103 प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।
2. शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी

34. बोली प्रतिभूति :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृ कर दिया जाएगा :–

1. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
3. जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
4. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

35. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Performance Gurantee) :–

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप में निम्न प्रकार होंगे :– (क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ चालान की रसीदी प्रति/बैंक गारन्टी

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाना है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के

बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकायाये (Outstanding Dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन सामानो के सम्बंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप में, या उसकी फोटोस्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर, बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगे।

(3) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :–** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाऐगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter Foil) निःशुल्क दी जाएगी।

36. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) **परिसमापित नुकसानी :–** परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी। जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :–

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2½ %

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 %

(ग) आधि अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7½ %

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 %

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्त्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

37. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कारवाई कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

38. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आश्य या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से सम्बंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

39. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालाओं में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

40. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने मे असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर निदेशक (वित्त), एनआरएचएम, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनेल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही प्रतिभुति राशि भी जब्त की जा सकती है।

41. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 23.06.15 को दोपहर 1.00 बजे तक शासन उप सचिव, एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर के कार्यालय मे कमरा नं सी–305 द्वितिय तल, स्वास्थय भवन, जयपुर में स्वीकार किये जावेगे एवं दिनांक 23.06.15 को 4.00 बजे उपस्थित निविदादाता फर्मों के समक्ष खोले जावेगें। निर्धारित दिनांक एवं समय पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

42. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानानुसार लागू होंगी।

शासन उप सचिव,
एनएचएम

मैने उपरोक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एंव समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबधित रहुँगा/रहेगे।

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर मय मोहर